NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-08-2026

विषय सूची

भारत और आर्कटिक: वैज्ञानिक उपस्थिति से सामरिक सहभागिता की ओर

लद्दाख के हिमनदों के क्षरण की गति में आई कमी

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति: वैश्विक सहभागिता के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा की दिशा में

भारत में पोत पुनर्चक्रण

संक्षिप्त समाचार

लेक मीड

कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS)

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

पीएम-पोषण (PM-POSHAN) के लिए नया मेनू

मून बेस कार्यक्रम

भारत और आर्कटिक: वैज्ञानिक उपस्थिति से सामरिक सहभागिता की ओर

संदर्भ

- विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में **'भारत की आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भूमिका एवं उपस्थिति'** शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की ध्रुवीय भागीदारी की समीक्षा करते हुए आर्कटिक क्षेत्र में भारत की प्रमुख क्षमतागत कमियों को रेखांकित किया गया है।

भारत की आर्कटिक भागीदारी: अतीत एवं वर्तमान

- भारत की आर्कटिक भागीदारी ऐतिहासिक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु अध्ययनों पर केंद्रित रही है, किंतु अब यह क्षेत्र व्यापक सामरिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व प्राप्त कर रहा है।
- भारत की आर्कटिक क्षेत्र में भागीदारी वर्ष **1920 की स्वालबार्ड संधि** से जुड़ी है। इस संधि के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को संधि के प्रावधानों के अधीन स्वालबार्ड तक पहुँच तथा वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित करने के अधिकार प्राप्त हैं।
- भारत ने वर्ष **2008 में स्वालबार्ड के न्य-ऑलेसुंड में अपना स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र 'हिमाद्रि'** स्थापित किया।
- भारत वर्ष **2013 में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक** बना।
- वर्तमान में भारतीय संस्थान जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय विज्ञान, हिमनद विज्ञान, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और ध्रुवीय जीवविज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं।
- हालाँकि, भारत की उपस्थिति अभी भी मुख्यतः स्वालबार्ड के आसपास केंद्रित है तथा सीमित बुनियादी ढाँचे और वित्तीय संसाधनों के कारण बाधित है।

भारत की आर्कटिक नीति, 2022

- यह नीति आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - वैज्ञानिक अनुसंधान एवं निगरानी को प्रोत्साहन देना।
  - आर्कटिक जलवायु प्रक्रियाओं तथा उनके भारत पर प्रभाव को समझना।
  - पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक एवं मानव विकास को प्रोत्साहित करना।
  - आर्कटिक देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - आर्कटिक शासन व्यवस्था में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करना।
  - ध्रुवीय अनुसंधान एवं लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता का विकास करना।
- संसदीय समिति ने प्रभावी रूप से इस आवश्यकता को रेखांकित किया है कि इस नीतिगत रूपरेखा को संस्थागत एवं भौतिक क्षमताओं में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है।

भारत की आर्कटिक क्षेत्र में साख एवं क्षमताएँ

- भारत के पास कई महत्वपूर्ण आधार एवं क्षमताएँ हैं:
  - **1920 की स्वालबार्ड संधि** का हस्ताक्षरकर्ता।
  - स्वालबार्ड में स्थायी अनुसंधान केंद्र **हिमाद्रि**।
  - अनुसंधान पोत **सागर कन्या** तथा अन्य समुद्री वैज्ञानिक क्षमताओं ने ध्रुवीय अनुसंधान में सहयोग दिया है।
  - **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR)** भारत के ध्रुवीय कार्यक्रमों का समन्वय करता है।
  - भारत ने आर्कटिक देशों के साथ राजनयिक एवं वैज्ञानिक सहयोग बनाए रखा है तथा पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक परिषद की गतिविधियों में भाग लिया है।

वैश्विक प्रयास एवं भागीदारी

- आर्कटिक क्षेत्र पर रूस, अमेरिका, कनाडा और नॉर्डिक देशों के हितों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि चीन ने गैर-आर्कटिक देश होने के बावजूद इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।
- चीन स्वयं को 'निकट-आर्कटिक राज्य' के रूप में संदर्भित करता है तथा उसने ध्रुवीय अनुसंधान, बुनियादी ढाँचे और नौवहन में निवेश किया है।
- आर्कटिक परिषद सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर सहयोग का प्रमुख मंच है, किंतु भू-राजनीतिक संघर्षों ने सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावित किया है।
- भारत के लिए रूस, अमेरिका और नॉर्डिक देशों के साथ संपर्क तथा आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक तथा शासन संबंधी प्रक्रियाओं में भागीदारी, सामरिक एवं विकासात्मक उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने के अवसर प्रदान करती है।

विश्व और भारत के लिए महत्व

- **जलवायु सुरक्षा:** आर्कटिक क्षेत्र का बढ़ता तापमान वैश्विक जलवायु पर व्यापक प्रभाव डाल रहा है। उभरते हुए अनुसंधान आर्कटिक समुद्री-बर्फ में होने वाले परिवर्तनों को दक्षिण एशियाई मानसून की गतिविधियों से जोड़ते हैं।
  - भारत में कृषि एवं आजीविका की पर्याप्त निर्भरता मानसूनी वर्षा पर होने के कारण आर्कटिक परिवर्तनों के खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव महत्वपूर्ण हैं।
- **समुद्र-स्तर में वृद्धि:** आर्कटिक बर्फ के पिघलने से वैश्विक समुद्र-स्तर में परिवर्तन होता है, जिससे निचले तटीय क्षेत्रों और द्वीपीय देशों के लिए खतरा बढ़ता है।

- भारत के लिए इसके तटीय आबादी, बुनियादी ढाँचे, पारिस्थितिकी तंत्र और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं।
- **सामरिक एवं आर्थिक महत्व:** समुद्री मार्गों, विशेषकर **उत्तरी समुद्री मार्ग** के खुलने से वैश्विक नौवहन के स्वरूप में परिवर्तन आ सकता है।
  - आर्कटिक क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों और महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध है तथा भविष्य की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में इसका महत्व और बढ़ सकता है।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** वैश्विक भागीदारी में वृद्धि आर्कटिक को भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के एक नए क्षेत्र के रूप में स्थापित कर रही है।
  - अतः भारत को इस क्षेत्र को **जलवायु-सुरक्षा और भू-राजनीतिक—दोनों दृष्टिकोणों** से देखने की आवश्यकता है।

संबंधित चिंताएँ एवं मुद्दे

- **संस्थागत विखंडन:** आर्कटिक से संबंधित जिम्मेदारियाँ विदेश मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में विभाजित हैं।
- **समर्पित आर्कटिक दूत का अभाव:** भारत के पास ध्रुवीय कूटनीति के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है।
- **अनुसंधान अवसंरचना की कमी:** भारत के पास अपना विशिष्ट **ध्रुवीय अनुसंधान पोत** नहीं है।
- **संसाधनों की कमी:** समिति ने उल्लेख किया कि **वर्ष 2024-25 में भारत ने आर्कटिक अभियानों के लिए लगभग ₹17.53 करोड़** ही आवंटित किए, जो घोषित महत्वाकांक्षाओं और बजटीय प्रावधानों के बीच अंतर को दर्शाता है।
- **सीमित पैन-आर्कटिक पहुँच:** विदेशी पोतों और साझेदारियों पर निर्भरता के कारण स्वालबार्ड से बाहर लंबे समय तक अनुसंधान गतिविधियाँ संचालित करने की क्षमता सीमित रहती है।
- **भू-राजनीतिक अनिश्चितता:** रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव तथा बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग को बाधित कर रही है।

आगे की राह

- भारत की आर्कटिक कूटनीति का नेतृत्व करने तथा **सम्पूर्ण-सरकार दृष्टिकोण** सुनिश्चित करने के लिए **ध्रुवीय राजदूत/विशेष दूत** की नियुक्ति की जाए।
- **ध्रुवीय अनुसंधान पोत** की व्यवस्था में तीव्रता लाई जाए तथा परिचालन पहुँच का विस्तार करने के लिए अंतरिम रूप से पोत के अधिग्रहण अथवा चार्टर की रणनीति पर विचार किया जाए।
- आर्कटिक अनुसंधान, लॉजिस्टिक्स, उपग्रह निगरानी और जलवायु मॉडलिंग के लिए समर्पित वित्तपोषण में वृद्धि की जाए।
- नॉर्डिक देशों, रूस, अमेरिका और अन्य आर्कटिक हितधारकों के साथ सहयोग को सुदृढ़ किया जाए।
- आर्कटिक से प्राप्त अवलोकनों को भारतीय मानसून पूर्वानुमान, तटीय विकास और जलवायु जोखिम आकलन में एकीकृत किया जाए।
- आर्कटिक नौवहन, महत्वपूर्ण खनिजों, महासागर शासन और आर्कटिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं ज्ञान का विकास किया जाए।
- वैज्ञानिक सहयोग, पर्यावरणीय स्थिरता और सामरिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करना भारत की आर्कटिक नीति का प्रमुख आधार होना चाहिए।

स्रोत: IE

लद्दाख के हिमनदों के क्षरण की गति में आई कमी

संदर्भ

- एक नए अध्ययन के अनुसार, **1992 से 2023 के बीच लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र के 12 हिमनदों की गति औसतन 2.4 मीटर/वर्ष प्रति दशक की दर से धीमी हुई**, साथ ही हिमनदों के क्षीण होने की प्रक्रिया में भी वृद्धि हुई।

हिमनद क्या हैं?

- हिमनद भूमि पर निर्मित बर्फ के बड़े और मोटे पिंड होते हैं, जो सदियों तक बर्फ के संचय के कारण बनते हैं।
- पृथ्वी के कुल स्वच्छ जल का लगभग **70 प्रतिशत** हिमनदों में संचित है। वर्तमान में हिमनद पृथ्वी के लगभग **10 प्रतिशत भू-भाग** को आच्छादित करते हैं।
- हिमनदों में होने वाली **अपरदन, परिवहन और निक्षेपण** जैसी प्रक्रियाएँ विशिष्ट अपरदनी एवं निक्षेपणीय हिमानी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं।

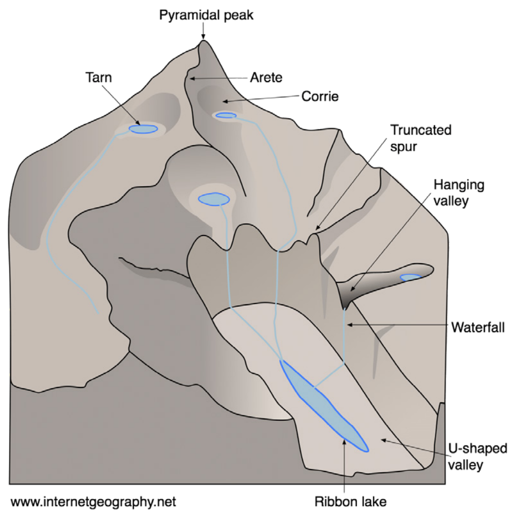

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **हिमनदों की गति में कमी:** अध्ययन में पाया गया कि विगत तीन दशकों के दौरान हिमनदों की सतही गति में कमी आई है।
- **हिमनदों के पतले होने की गति में वृद्धि:** हिमनदों की सतह के पतले होने की दर 2000–05 में **0.22 मीटर/वर्ष** से बढ़कर 2015–20 में **0.57 मीटर/वर्ष** हो गई।
- **कारण:** अधिक तापमान के कारण बर्फ का क्षरण और पतलापन बढ़ता है। जब हिमनद पतले होते हैं, तो उन पर लगने वाला प्रेरक तनाव कम हो जाता है, जिससे ढलान की दिशा में बर्फ को नीचे की ओर ले जाने वाला बल भी कम हो जाता है।
- **बर्फ के परिवहन में कमी:** धीमी गति से बहने वाले हिमनद अधिक ऊँचाई वाले बर्फ-संचय क्षेत्रों से कम मात्रा में बर्फ को निचले क्षेत्रों तक पहुँचाते हैं, जहाँ बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया होती है।
- **क्षेत्रीय विविधता:** सभी हिमनदों ने तापमान वृद्धि के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं दी। हिमनद के प्रवाह की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में हिमनद की ज्यामिति, मलबे का आवरण तथा हिमनद के अंतिम छोर या **हिमनद-शीर्ष** की स्थितियाँ शामिल हैं।

जांस्कर के हिमनदों का महत्व

- जांस्कर क्षेत्र में हिमालय के कुछ सबसे बड़े और व्यापक हिमनद पाए जाते हैं। **माचोई हिमनद** और **पारकाचिक हिमनद** इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
- ये हिमनद स्वच्छ जल के प्राकृतिक भंडार के रूप में कार्य करते हैं और उष्ण महीनों के दौरान पिघले हुए जल के रूप में जल उपलब्ध कराते हैं।
- यह मौसमी जलापूर्ति अपेक्षाकृत शुष्क लद्दाख क्षेत्र की **नदियों, पारिस्थितिकी तंत्रों, कृषि भूमि और स्थानीय जनसंख्या** की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

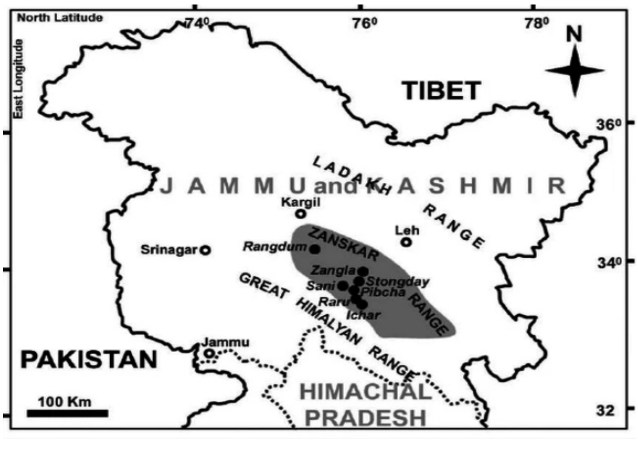

सिंधु नदी बेसिन पर प्रभाव

- वर्षा सीमित होने वाले शुष्क ग्रीष्मकालीन महीनों में हिमनद **सिंधु नदी के प्रवाह** में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- प्रारंभिक चरण में हिमनदों के तीव्रता से पिघलने से नदी के जलप्रवाह में वृद्धि हो सकती है। इस घटना को **'पीक वाटर'** कहा जाता है। हालांकि, जब हिमनद अपने संचित बर्फ के एक बड़े हिस्से को खो देते हैं:
  - पिघले हुए जल का योगदान कम होने की संभावना है।
  - दीर्घकालिक जल उपलब्धता अधिक अनिश्चित हो सकती है।
  - कृषि, जलविद्युत, पारिस्थितिकी तंत्र और निचले क्षेत्रों की जल सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

हिमनदों के संरक्षण के लिए वैश्विक पहल

- **पेरिस समझौता, 2015:** इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व स्तरों की तुलना में **2°C से काफी नीचे**, तथा संभव हो तो **1.5°C** तक सीमित रखना है।
- **हाई माउंटेन समिट (WMO):** यह पर्वतों और हिमनदों को जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतकों के रूप में मान्यता देता है तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और बेहतर आँकड़ा-साझाकरण को बढ़ावा देता है।
- **इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव (ICCI):** वर्ष **2009 में COP-15 के परिणामस्वरूप स्थापित** यह वरिष्ठ नीति विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क है, जो सरकारों एवं विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है।
  - यह पृथ्वी के **क्रायोस्फीयर (हिममंडल)** के संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न पहलों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है।
- **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के सतत संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMSHE):** यह भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है।
  - यह सतत रणनीतियों के विकास तथा हिमनदों के पिघलने, प्राकृतिक आपदाओं और जैव-विविधता के ह्रास जैसी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है।
- **आर्कटिक परिषद:** यह आर्कटिक देशों के बीच पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए सहयोग का एक प्रमुख मंच है।
- **वैश्विक हिम निगरानी पहल:** विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की **ग्लोबल क्रायोस्फीयर वॉच (GCW)** और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का **CryoSat मिशन** जैसी पहलें उपग्रह-आधारित दूरसंवेदी तकनीक के माध्यम से हिमनदों एवं हिमचादरों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करती हैं।

आगे की राह

- उपग्रह-आधारित दूरसंवेदी तकनीक, ड्रोन और भू-आधारित अवलोकनों का उपयोग करते हुए एक **समन्वित हिमालयी हिमनद निगरानी नेटवर्क** स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि

हिमनदों के द्रव्यमान संतुलन, मोटाई, प्रवाह की गति और पिघले हुए जल के बहाव की निगरानी की जा सके।

- अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में **स्वचालित मौसम केंद्रों** का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि तापमान, हिमपात, वर्षा और विकिरण से संबंधित विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त किए जा सकें। ये आँकड़े हिमनदों के सटीक मॉडलिंग के लिए आवश्यक हैं।
- आर्द्रभूमियों, झरनों और उच्च-ऊँचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक **जल-संतुलनकारी तंत्र** के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही, संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में अस्थिर एवं अनियंत्रित विकास को रोका जाना चाहिए।

स्रोत: TH

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति: वैश्विक सहभागिता के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा की दिशा में

संदर्भ

- भारत 98 देशों के साथ **सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों** के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को सुदृढ़ कर रहा है।

सांस्कृतिक कूटनीति क्या है?

- सांस्कृतिक कूटनीति से आशय राष्ट्रों और लोगों के बीच विचारों, सूचनाओं, कला, भाषा तथा संस्कृति के अन्य पहलुओं के आदान-प्रदान से है, जिसका उद्देश्य **आपसी समझ को बढ़ावा देना** है।
    - यह एक ऐसी **सॉफ्ट पावर** के रूप में कार्य करती है, जो सौम्य होते हुए भी एकता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने में अत्यंत प्रभावशाली होती है।
- स्वतंत्रता के बाद, कई देशों ने अपनी विदेश नीति में संस्कृति को केंद्रीय स्थान दिया अथवा अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक सहयोग को अपनी विकास नीतियों का आधार बनाया।
- **सॉफ्ट पावर का उदाहरण:** यूरोपीय संघ (EU) का गठन यूरोप में सदियों से चले आ रहे विवादों और संघर्षों के समाधान में सॉफ्ट पावर की सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है।
    - द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद, फ्रांस और जर्मनी के स्कूली बच्चों को एक-दूसरे की संस्कृति, भाषा और रीति-रिवाजों को समझने के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भेजा गया।

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के स्तंभ

- **समन (शांति):** शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता उसकी अहिंसा की दीर्घ परंपरा और राजनयिक पहलों में परिलक्षित होती है।
    - भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है और विश्वभर में **40 से अधिक अभियानों** के लिए कार्मिकों का योगदान दिया है।
    - भारत की शांति-उन्मुख विदेश नीति तथा गुटनिरपेक्ष स्थिति ने एक शांतिपूर्ण और स्थिर शक्ति के रूप में उसकी छवि को सुदृढ़ किया है।
    - वैश्विक दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भारत के समर्थन ने विकासशील देशों के बीच सम्मान अर्जित किया है, जो भारत को आर्थिक विकास के एक मॉडल के रूप में देखते हैं।
- **समृद्धि :** 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी पहलों के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति ने उसे उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति तथा एक उभरते वैश्विक बाजार के रूप में स्थापित किया है।
    - विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य-पूर्व के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंध उसकी आर्थिक प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं।
- **सुरक्षा :** क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए भारत की रणनीति अमेरिका, रूस और जापान जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ उसके संबंधों पर आधारित है।
    - भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में स्वयं को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित किया है। इसने अपनी ऐतिहासिक गुटनिरपेक्ष नीति को **क्वाड** जैसे सुरक्षा मंचों में सक्रिय भागीदारी के साथ संतुलित किया है।
    - आतंकवाद-रोधी प्रयासों और मानवीय पहलों पर भारत का बल क्षेत्रीय सुरक्षा में उसके योगदान को दर्शाता है।
- **संस्कृति :** बॉलीवुड, शास्त्रीय कलाएँ, योग और भारतीय व्यंजन विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति के सबसे प्रमुख प्रतिनिधियों में शामिल हैं।
    - विश्वभर में मनाया जाने वाला **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस** इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि भारत ने वैश्विक दर्शकों तक पहुँच बनाने के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रभावी विस्तार किया है।
    - भारतीय प्रवासी समुदाय भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा परस्पर जुड़ी हुई वैश्वीकृत विश्व में भारत की सांस्कृतिक प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **वैश्विक सहभागिता योजना (GES):** संस्कृति मंत्रालय GES के माध्यम से अन्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।
    - GES के चार प्रमुख घटक हैं: अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (ICEP), प्रोजेक्ट मौसम, बृहत्तर

NEXT IAS हिन्दी

भारत तथा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की योजना।

- **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR):** ICCR विदेश मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, जो विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने तथा विदेशों में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अपने नेटवर्क के माध्यम से जन-से-जन संबंधों को सुदृढ़ करने का कार्य करता है।
- **बहुपक्षीय सांस्कृतिक सहभागिता:** भारत की सांस्कृतिक कूटनीति **ब्रिक्स (BRICS), जी20 (G20), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और बिम्सटेक (BIMSTEC)** जैसे मंचों में उसकी भागीदारी के माध्यम से भी आगे बढ़ाई जाती है।

चुनौतियाँ

- **अन्य देशों की सॉफ्ट पावर से प्रतिस्पर्धा:** चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य देश विदेशों में अपनी संस्कृति के प्रचार-प्रसार पर पर्याप्त संसाधन व्यय करते हैं।
- **सीमित संस्थागत एवं वित्तीय संसाधन:** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जैसे संगठनों के बजटीय और मानव संसाधन, प्रमुख वैश्विक शक्तियों के समान संस्थानों की तुलना में सीमित हैं।
- **सांस्कृतिक संपदाओं का अपर्याप्त उपयोग:** भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भाषाएँ, साहित्य, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं।
- **डिजिटल एवं भाषाई बाधाएँ:** प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में सीमित अनुवाद और डिजिटल प्रसार के कारण भारतीय सांस्कृतिक सामग्री की वैश्विक पहुँच अपेक्षाकृत कम है।
- **संस्कृति का व्यावसायीकरण:** अत्यधिक व्यावसायीकरण पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के वस्तुकरण अथवा उनके मूल स्वरूप के क्षरण का कारण बनता है तथा उनकी प्रामाणिकता को कम करता है।

आगे की राह

- **संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण :** भारत की सांस्कृतिक पहुँच का विस्तार करने के लिए ICCR और भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के वित्तपोषण, मानव संसाधन तथा वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल कूटनीति:** भारतीय संस्कृति को वैश्विक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाने हेतु OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, आभासी संग्रहालय, डिजिटल अभिलेखागार और बहुभाषी सामग्री का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।
- **प्रवासी भारतीयों के साथ साझेदारी का सुदृढ़ीकरण:** भारतीय प्रवासी समुदाय को सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में सक्रिय करते हुए विदेशों में भारतीय परंपराओं, भाषाओं, त्योहारों और मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में **सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक प्रगति और रणनीतिक साझेदारियों** के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- जैसे-जैसे भारत अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति की जटिलताओं के बीच अपनी राह आगे बढ़ा रहा है, उसकी सॉफ्ट पावर **संबंधों को सुदृढ़ करने, पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन** सिद्ध होगी।

स्रोत: PIB, DD NEWS

भारत में पोत पुनर्चक्रण

संदर्भ

- भारत पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं सतत **पोत पुनर्चक्रण** के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है।

पोत पुनर्चक्रण

- पोत पुनर्चक्रण से आशय ऐसे पोतों को विघटित करने की प्रक्रिया से है, जिनका उद्देश्य उनकी सामग्री, विशेष रूप से **इस्पात**, को निकालकर पुनः उपयोग के लिए प्राप्त करना होता है।
- यह समुद्री जीवन-चक्र का एक अभिन्न हिस्सा है, जो अपने परिचालन जीवन की अवधि पूरी कर चुके पोतों को सुरक्षित, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और संसाधन-कुशल तरीके से विघटित करने में सक्षम बनाता है।

भारत में वर्तमान स्थिति

- भारत का पोत पुनर्चक्रण क्षेत्र एक आधुनिक एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उद्योग के रूप में विकसित हुआ है।
- भारत ने **2025 में वैश्विक स्तर पर पोत पुनर्चक्रण में प्रथम स्थान** प्राप्त किया।
- वैश्विक पोत पुनर्चक्रण में भारत की हिस्सेदारी **2024 के 30.1% से बढ़कर 2025 में 35.4%** हो गई।
- भारत में पोत पुनर्चक्रण की मात्रा **2024 में 1.86 मिलियन ग्रॉस टन (GT) से बढ़कर 2025 में 2.99 मिलियन GT** हो गई। अर्थात पुनर्चक्रित पोतों की मात्रा में लगभग **60% की वृद्धि** हुई।
- भारत का लक्ष्य **मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030** के तहत अपनी पोत पुनर्चक्रण क्षमता को लगभग दोगुना करके **लगभग 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (LDT)** करने का है।

महत्व

- **पर्यावरणीय महत्व:** सेवा-आयु पूरी कर चुके पोतों के निपटान के लिए उनके पुनर्चक्रण को नियंत्रित एवं व्यवस्थित किया जाता है।
    - समुद्री और तटीय प्रदूषण की संभावना कम होती है।
    - खतरनाक सामग्रियों का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए उनका उचित पुनर्चक्रण किया जाता है तथा उन पर सख्त नियामक नियंत्रण लागू होते हैं।
    - यह **ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी** लाने तथा भारत के सतत विकास और **डी-कार्बोनाइजेशन** लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भी योगदान देता है।
- **संसाधन क्षेत्र:** देश में पोत पुनर्चक्रण से प्राप्त लौह-आधारित अपशिष्ट का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता **इस्पात उद्योग** है।
    - इससे आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम होती है और आपूर्ति की सुरक्षा बढ़ती है।
    - इस्पात की पुनर्प्राप्ति और उसके पुनः उपयोग के माध्यम से भारत **सर्कुलर अर्थव्यवस्था** तथा संसाधनों के कुशल उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
    - पुनर्चक्रित इस्पात से इस्पात का उत्पादन करने में प्राथमिक या नए स्रोतों से इस्पात उत्पादन की तुलना में काफी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- **आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व:** पोत पुनर्चक्रण बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है।
    - सहायक उद्योगों और संबंधित गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होते हैं। इनमें **परिवहन, पुनर्बेलन मिलें , उपकरण आपूर्तिकर्ता और अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएँ** शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

- गुजरात के **अलंग में पूर्व INS विराट का पुनर्चक्रण** भारत के पोत पुनर्चक्रण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना थी।
- इस विमानवाहक पोत को भारतीय नौसेना में 30 वर्ष तथा रॉयल नेवी में 27 वर्ष की सेवा के बाद **मार्च 2017 में सेवामुक्त** किया गया और यह **सितंबर 2020 में अलंग** पहुँचा।
- **विराट** को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले युद्धपोतों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इसने **22,622 से अधिक उड़ान घंटे, 2,252 दिन समुद्र में तथा 5.88 लाख से अधिक समुद्री मील** की दूरी तय की थी।
- इसके पुनर्चक्रण ने बड़े और जटिल पोतों को सुरक्षित रूप से विघटित करने, मूल्यवान सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति तथा **पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों** को बढ़ावा देने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- गुजरात का **अलंग-सोसिया पोत पुनर्चक्रण क्लस्टर** भारत की पोत पुनर्चक्रण क्षमता की आधारशिला है।
    - इसे विश्व के सबसे बड़े पोत पुनर्चक्रण केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह क्लस्टर भारत की पोत पुनर्चक्रण गतिविधियों का लगभग **98%** हिस्सा संचालित करता है।
    - भारत का लक्ष्य अपनी पोत पुनर्चक्रण क्षमता को लगभग दोगुना करके **लगभग 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (LDT)** करना है।
- **पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019:** यह अधिनियम भारत में पोत पुनर्चक्रण के विनियमन के लिए प्राथमिक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
    - यह अंतरराष्ट्रीय मानकों को भारत में लागू करने का प्रावधान करता है। साथ ही, **महानिदेशक नौवहन** को राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
    - अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण, प्रमाणन, निरीक्षण और प्रवर्तन संबंधी तंत्र अनिवार्य किए गए हैं।
- **पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021:** ये नियम अधिनियम को क्रियान्वित करते हुए प्रक्रियात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं।
    - इनमें पुनर्चक्रण सुविधाओं का प्राधिकरण, पोत पुनर्चक्रण योजनाएँ, खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन, श्रमिक सुरक्षा, प्रशिक्षण तथा रिपोर्टिंग संबंधी दायित्व शामिल हैं।
- **पोत पुनर्चक्रण विनियम, 2026:** ये विनियम विस्तृत परिचालन, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों के माध्यम से कार्यान्वयन को सुदृढ़ करते हैं।
    - इनका उद्देश्य पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं में **एकरूप अनुपालन और प्रभावी निगरानी** सुनिश्चित करना है।
- **जहाजों के सुरक्षित एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पुनर्चक्रण पर हांगकांग अंतरराष्ट्रीय अभिसमय:** यह पोत पुनर्चक्रण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साधन है।
    - यह पोतों और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए **कानूनी रूप से बाध्यकारी आवश्यकताएँ** निर्धारित करता है।
- **खतरनाक सामग्रियों की सूची (IHM):** यह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पोत पुनर्चक्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है।
    - इसके अंतर्गत पोतों के परिचालन जीवन के दौरान तथा पुनर्चक्रण से पूर्व उन पर विद्यमान खतरनाक सामग्रियों की पहचान एवं सूची तैयार की जाती है।
    - भारत में **जीवन-चक्र आधारित अनुपालन प्रणाली** लागू है। इससे लाइसेंस प्राप्त पुनर्चक्रण सुविधाओं में पोत के पुनर्चक्रण से पहले **पारदर्शिता, अनुरेखणीयता और उचित जोखिम न्यूनीकरण** सुनिश्चित होगा।

- **पोत विघटन के लिए क्रेडिट नोट जारी करने की योजना:** भारत में अनुपालन करने वाले पोत पुनर्चक्रण यार्डों में पोतों के पुनर्चक्रण के लिए पोत मालिकों को प्रोत्साहित करने हेतु **शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFA) 2.0** के अंतर्गत पोत विघटन के लिए क्रेडिट नोट जारी करने की योजना तैयार की जा रही है।

स्रोत :PIB

संक्षिप्त समाचार

लेक मीड

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा जलाशय **लेक मीड** अपने भराव के लगभग 90 वर्षों के इतिहास में अब तक के **सबसे निम्न जलस्तर** पर पहुँच गया है।

परिचय

- लेक मीड, **कोलोराडो नदी पर हूवर बाँध** द्वारा निर्मित एक जलाशय है, जो एरिज़ोना और नेवादा की सीमा पर, लास वेगास से लगभग 40 किमी पूर्व में स्थित है।
- जल क्षमता के आधार पर यह विश्व के सबसे बड़े **मानव-निर्मित जलाशयों** में से एक है। इस झील का निर्माण **बोल्डर कैन्यन परियोजना** के अंतर्गत किया गया था और इसका नाम अमेरिका के पूर्व **ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन** आयुक्त **एलवुड मीड** के नाम पर रखा गया है।
- यह जलाशय एरिज़ोना, कैलिफोर्निया और नेवादा के साथ-साथ मेक्सिको के कुछ हिस्सों को जल की आपूर्ति करता है। इससे लाखों लोगों तथा विस्तृत कृषि क्षेत्रों की जल आवश्यकताएँ पूरी होती हैं।

स्रोत: Mint

कंटेनरविनिर्माण सहायता योजना (CMAS)

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने शिपिंग कंटेनरों के घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करने, आयात पर निर्भरता कम करने तथा भारत के व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की **लचीलापन क्षमता** बढ़ाने के लिए **₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS)** प्रस्तावित की है।

कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS) क्या है?

- CMAS **पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय** की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसकी घोषणा **केंद्रीय बजट 2026–27** में की गई है।
- ₹10,000 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय वाली यह योजना **पाँच वर्षों** की अवधि में नई विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तार को सहायता प्रदान करेगी।
- इस पहल का लक्ष्य घरेलू कंटेनर विनिर्माण क्षमता को मौजूदा क्षमता की तुलना में लगभग **10 गुना बढ़ाकर प्रति वर्ष 7.5 लाख ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (TEUs)** तक पहुँचाना है।
- इससे लगभग **₹80,000 करोड़ के बाजार अवसर** के सृजन की अपेक्षा है तथा भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय शिपिंग कंटेनरों के निर्माता के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
- कंटेनर विनिर्माण मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने के लिए योजना के अंतर्गत:
  - नई **ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधाओं** की स्थापना के लिए पूंजीगत सहायता।
  - मौजूदा **ब्राउनफील्ड विनिर्माण इकाइयों** के विस्तार के लिए सहायता।
  - घरेलू कंटेनर विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए परिचालन सहायता।
  - परीक्षण अवसंरचना, कौशल विकास पहलों और क्षमता निर्माण के लिए सहायता।

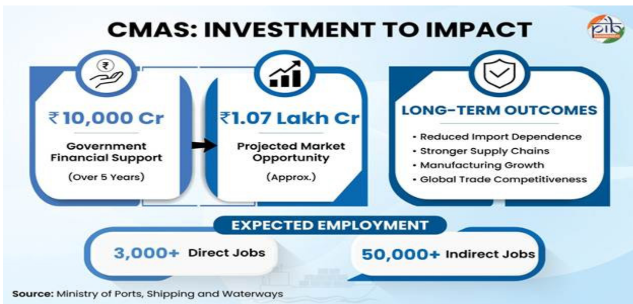

स्रोत: PIB

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

संदर्भ

- **ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति** ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और वास्तविक रोजगार परिणामों के बीच विद्यमान अंतर को रेखांकित किया है।

परिचय

- **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)** ने वर्ष **2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)** शुरू की थी।
- यह **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** के अंतर्गत एक **नियोजन-संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम** है।
- **आयु सीमा:** 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवा इस योजना के पात्र हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और अल्पसंख्यकों के लिए आयु सीमा **45 वर्ष** तक है।
- DDU-GKY का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना तथा **नियोजन-संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रमों** के माध्यम से उनके लिए सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- इस योजना में **नियोजन-संबद्ध परिणामों** को अनिवार्य किया गया है तथा पाठ्यक्रम तैयार करने और प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में उद्योग की निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

स्रोत: PIB

पीएम-पोषण (PM-POSHAN) के लिए नया मेनू

समाचार में

- दिल्ली के सरकारी स्कूलों में **पीएम-पोषण योजना** के अंतर्गत नया मेनू लागू किया जाएगा, जिसमें **इडली-सांभर** जैसे नए व्यंजन शामिल किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि

- **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM-POSHAN)** योजना को पहले **मध्याह्न भोजन योजना** के नाम से जाना जाता था। यह बच्चों के पोषण में सुधार, विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति और बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बन गई है।
- इसकी शुरुआत वर्ष **1925 में मद्रास नगर निगम** में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के रूप में हुई थी।
- 1980 के दशक के मध्य तक गुजरात, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्राथमिक स्तर पर **पका हुआ मध्याह्न भोजन** सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाने लगा था।
- **वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने 2,408 विकासखंडों में प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE)** शुरू किया, जिसका विस्तार वर्ष **1997-98 तक पूरे देश में** कर दिया गया।
- वर्ष **2007-08 में इस योजना का विस्तार उच्च प्राथमिक कक्षाओं (VI-VIII)** तक किया गया तथा अप्रैल 2008 से देशभर के सभी पात्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को इसके दायरे में शामिल कर लिया गया।

पीएम-पोषण योजना

- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसका क्रियान्वयन **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा किया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पात्र बच्चों को **गर्म पका हुआ भोजन** उपलब्ध कराया जाता है।
- यह योजना पूरे देश में लागू है और इसमें लिंग तथा सामाजिक वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र बच्चों को शामिल किया जाता है।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य भारत में बड़ी संख्या में बच्चों के समक्ष विद्यमान दो प्रमुख समस्याओं—**भूख और शिक्षा**—का समाधान करना तथा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पात्र बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।
- यह वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें कक्षा में होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान करती है।

स्रोत: HT

मून बेस कार्यक्रम

समाचार में

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी **NASA** ने **आर्टेमिस समझौते** के अंतर्गत भारत के साथ वर्तमान साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए **मून बेस कार्यक्रम** में शामिल होने के लिए **ISRO** को आमंत्रित किया है।

NEXT IAS हिन्दी

पृष्ठभूमि

- वर्ष **2023 में भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ था।** यह अमेरिका के नेतृत्व वाला अंतरिक्ष सहयोग ढाँचा है, जिसका घोषित उद्देश्य चंद्रमा सहित बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण नागरिक अन्वेषण के लिए साझा सिद्धांतों का विकास एवं पालन करना है।
- भारत **आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वाँ देश** था। वर्तमान में कुल **70 देश** इस समझौते का हिस्सा हैं।
- विगत वर्ष संयुक्त **NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन** के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत और अमेरिका ने सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। इसके साथ ही भविष्य में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।
- दोनों देशों ने **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS)** के बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता से संबंधित दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मून बेस

- **मून बेस** मानवता का पहला चंद्र आउटपोस्ट होगा, जहाँ अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के **दक्षिणी ध्रुव** के निकट रहेंगे, कार्य करेंगे और अन्वेषण करेंगे।
- NASA और उसके साझेदार चंद्र सतह पर मानव की दीर्घकालिक उपस्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्वेषण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिसका लाभ समस्त मानवता को मिल सके।

महत्व

- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट NASA द्वारा प्रस्तावित **मून बेस** वैज्ञानिक खोज, संसाधनों के उपयोग तथा दीर्घकालिक मानव अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
- ISRO को दिया गया यह निमंत्रण **शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) मिशन** और **NISAR उपग्रह मिशन** की सफलता के बाद भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत :TH

■■■■